प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन
अनुदान संख्या–14 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–4515001010600–24

सेवा में,

1–जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
जनपद प्रतापगढ़।
2–जिला पंचायत राज अधिकारी (मु0)/आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

संख्याः 1/शा0/106/2015–1/125/2015 लखनऊः दिनांक 15 अक्टूबर, 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–14 (सामान्य) के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ की तहसील–लालगंज के ग्राम–रेहुआ लालगंज में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना की भॉति विकास कार्य कराये जाने हेतु सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन निर्माण हेतु रू0–40.00 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–40/2015/2795/33–3–2015–100(12)/2014 दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0–4989.57 लाख में से उक्त सदर्भित शासनादेश दिनांक 12.10.2015 के साथ संलग्न फॉट के कालम संख्या 8, 15, 17 में इंगित कुल रू0 **39.925 लाख** की धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी जनपद प्रतापगढ़ के आहरण/व्यय/वितरण हेतु (परिशिष्ट–01) व कालम सख्या–10 में इंगित रू0 **0.075 लाख** की धनराशि निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय हेतु (परिशिष्ट–02) इस प्रकार **कुल रू0–40.00 लाख (रूपया चालीस लाख मात्र)** की धनराशि संलग्न सूची के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टर लॉकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु वर्ष 2015–16 में प्राविधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2– आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व आप स्वंय अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि, योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

3– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2015–16 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–2/2015/बी–1–925 /दस–2015–231/2015 दिनांक 30.03.2015 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उपरोक्तानुसार आवंटित की जा रही धनराशि, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगे। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉ–01–प्रतिशत्ता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक"0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य प्राप्तियॉ–02–प्रतिशत्ता प्रभारों की वसूली" में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा केडिट किया जायेगा।

5– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

कृ0पृ0उ0

6– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या– लेखाशीर्षक "4515–अन्य ग्राम विकास कार्यकमों पर पूंजीगत परिव्यय–101–पंचायती राज–सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग की व्यवस्था–24–वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाल जायंगा।

7– सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

8– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

9– आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर लेखशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

10– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

11– किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

12– धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 10–03–2016 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–104 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

15.10.15

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्याः1/शा0/106/1/2015 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
2– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4– उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
5– जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
6– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़ ।
7– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8– सम्बन्धित उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
9– उपनिदेशक (पं0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
10– एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(महेन्द्र नारायण)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016
आवंटन दिनांक-15/10/2015

प्रेषण संख्या:- 1-sha-106-2015-1-125-2015
आवंटन आदेश संख्या:- 020-125-2015
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)
101 - पंचायती राज
06 - सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इन्टर लॉकिंग टाइल्स

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	प्रतापगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3992500 66875200	3992500 66875200
	योग	वर्तमान प्रगामी	3992500 66875200	3992500 66875200

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया उनचालीस लाख बानवे हजार पाँच सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छ: करोड़ अड़सठ लाख पचहत्तर हजार दो सौ

(महेन्द्र नारायण)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016
आवंटन दिनांक-15/10/2015

प्रेषण संख्या:- 1-sha-106-2015-1-125-2015
आवंटन आदेश संख्या:- 019-125-2015
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)
101 - पंचायती राज
06 - सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इन्टर लॉकिंग टाइल्स

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान	7500	7500
		प्रगामी	6528320	6528320
	योग	वर्तमान	7500	7500
		प्रगामी	6528320	6528320

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सात हजार पाँच सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पैंसठ लाख अठाईस हजार तीन सौ बीस

(महेन्द्र नारायण)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

संख्या- 40 /2015/ 2795/33-3-2015-100(12)/2014

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊः दिनांकः 12 अक्टूबर, 2015

विषय- जनपद प्रतापगढ की तहसील- लालगंज के ग्राम- रेहआ लालगंज में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना की भांति विकास कार्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/ शा/ 511/2015-5/99/2015 दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 के संदर्भ में समग्र ग्राम विकास विभाग के शासनादेश संख्या-447/66-2012-05/2012, दिनांक 17-05-2012 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के संबंध में में पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1266/33-2-2012-4आर0डी0/12, दिनांक 13 जून, 2012 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंध एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-2/2015/बी-1-925//दस-20154-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत 2015-16 उक्त योजना के लिए प्राविधानित 40000.00 लाख में से रू0 13760.800 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-21/2015/1546/33-3-2015100(12)/2014, दिनांक 05 जून, 2015, शासनादेश संख्या-23/2015/1646/33-3-2015100(12)/2014, दिनांक 16 जून, 2015 द्वारा रू0 6340.000 लाख, शासनादेश संख्या-25/2015/1762/33-3-2015100(12)/2014, दिनांक 06 जुलाई, 2015 द्वारा रू0 9670.000 एवं शासनादेश संख्या-27/2015/1923/33-3-2015100(12)/2014, दिनांक 13 जुलाई, 2015 द्वारा रू0 3380.000 लाख तथा शासनादेश संख्या-32/2015/2014/33-3-2015-100(12)/2014, दिनांक 30 जुलाई, 2015 द्वारा रू0 1570.0000 ,शासनादेश संख्या-34/2015/2491/33-3-2015-100(12)/2014, दिनांक 11 सितम्बर , 2015 द्वारा रू0 130.00 लाख, शासनादेश संख्या- 36/2015/2645/33-3-2015-100(12)/2014, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 द्वारा रू0 69.630 लाख, शासनादेश संख्या-37/2015/2646/33-3-2015-100(12)/2014, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 द्वारा रू0 70.00 एवं शासनादेश संख्या-38/2015/2647/33-3-2015-100(12)/2014, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 द्वारा रू0 20.00 की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार अवशेष धनराशि रू0 4989.57 लाख के सापेक्ष रू040.00 लाख (रू0 चालिस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु वर्ष 2015-16 में प्रावधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व निदेशक, पंचायती राज स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2015-16 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-2/2015/बी-1-925//दस-20154-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कडाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबधित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 1054'सडक तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियों -01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्षक" 0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम -800-अन्य प्राप्तियों -02-प्रतिशतता प्रभारी की वसूली " में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फॉट के कालम

संख्या- 10 में अंकित धनराशि रू0 0.075 लाख निदेशक, पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरहित की जायेगी, अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर सभी संबंधित को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-14 के "लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पंचायती राज-06-सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स की व्यवस्था- 24-बृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(7) सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) शासकीय व्यय में मितव्यतता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्यतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(9) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आंवटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(11) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(12) उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर निदेशक,पंचायती राज स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे।साथ ही साथ जनपदवार फॉट के सही होने का दायित्व भी निदेशक, पंचायती राज का होगा।

2- यह ओदश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-2/2015/बी-1-925//दस-20154-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग,उ0प्0शासन।
3- निदेशक एवं मुख्य मुख्य अभियन्ता,ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्तजिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6- समस्तमुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के ग्राम रेहुआ लालगंज में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विक. की भांति विकास कार्य हेतु सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या-14 (सामान्य हेतु)

(धनराशि लाख में)

क्र. स.	जनपद का नाम	तहसील लाल गंज के ग्राम रहुआ लाल गंज	कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी द्वारा कार्ययोजना के अनुसार सामान्य ग्रामों व अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में कुल मांग	वर्ष में अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत आवंटित धनराशि	शेष आवश्यकता	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि			कालम संख्या-7 के सापेक्ष कार्यालय व्यय/कन्टीजेन्सी हेतु 02 प्रतिशत धनराशि का फॉट							सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन हेतु वास्तविक प्रस्तावित धनराशि (7-16)
						सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन का निर्माण (कार्यान्श) 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी सहित	अधिष्ठान अंश 6.875 प्रतिशत की धनराशि	कुल योग	पंचायती राज निदेशालय स्तर पर (0.20 प्रतिशत)	आर.ई.एस. हेतु जनपद स्तर पर (1.50 प्रतिशत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	सहायक विकास अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	कालम संख्या 11+12+13+14 का योग	कुल योग (कालम 10+15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	प्रतापगढ	लालगंज व रेहुआ लालगंज	40.000	0.000	40.000	37.250	2.750	40.000	0.075	0.559	0.037	0.037	0.037	0.670	0.745	36.505

(रुपया चालिस लाख मात्र)

नोटः कालम संख्या-10 की धनराशि निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 तथा कालम संख्या- 8, 15 व 17 में इंगित धनराशि संबंधित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी।